

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प.3(20)वन/2022

जयपुर, दिनांक: 27 DEC 2022

अधिसूचना

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं.53) की धारा 36क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात सिरोही जिले की सिरोही तहसील स्थित आरक्षित वन खण्ड बीड़ वाडाखेडा की वन भूमि, जिसका विवरण नीचे दी गई **अनुसूची- I** एवं सीमाओं का विवरण **अनुसूची- II** के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति भू-संरचना सम्बन्धित, नैसर्गिक एवं प्राणीशास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए संरक्षण आरक्षित घोषित करती है, जिसे भविष्य में "वाडाखेडा संरक्षण आरक्षित" के नाम से जाना जावेगा, जो उक्त अधिनियम एवं तदधीन बनाए गए नियमों या समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।


अनुसूची-1

क्र. सं.	वन खण्ड का नाम	भूमि का विवरण		
		क्रमांक	दिनांक	क्षेत्रफल (हे०)
1	2	3	4	5
1	बीड़ वाडाखेडा	एफ 7(323)रा.क.60	27.10.1960	4331.00
	योग			4331.00

अनुसूची- II

उत्तरी सीमा	ग्राम सरदारपुरा से लगती हुई बीड़ वाडाखेडा वनखण्ड की उत्तरी सीमा
उत्तरी पूर्वी सीमा	ग्राम पालडी-एम से लगती हुई बीड़ वाडाखेडा वनखण्ड की उत्तरी सीमा
पूर्वी सीमा	ग्राम वेरा विलपुर से लगती हुई बीड़ वाडाखेडा वनखण्ड की उत्तरी सीमा
दक्षिणी पूर्वी सीमा	सिरोही से लगती हुई बीड़ वाडाखेडा वनखण्ड की दक्षिणी सीमा
दक्षिणी सीमा	ग्राम माण्डवा से लगती हुई बीड़ वाडाखेडा वनखण्ड की दक्षिणी सीमा
उत्तरी पश्चिमी सीमा	ग्राम गोल से लगती हुई बीड़ वाडाखेडा वनखण्ड की पश्चिमी सीमा
पश्चिमी सीमा	ग्राम पाडीव से लगती हुई बीड़ वाडाखेडा वनखण्ड की पश्चिमी सीमा
दक्षिणी पश्चिमी सीमा	ग्राम गोयली से लगती हुई बीड़ वाडाखेडा वनखण्ड की दक्षिणी सीमा


राज्यपाल की आज्ञा से


(विकेश शर्मा)

शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को REAMS के माध्यम से E- Gazette में प्रकाशित करवाने का श्रम करावे।
9. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
11. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
12. वन संरक्षक, सिरोही।
13. जिला कलक्टर, सिरोही।
14. उप वन संरक्षक, सिरोही।
15. संसदीय कार्य विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।


(सुरेश अग्रवाल)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, नई दिल्ली।
2. महानिरीक्षक, वन (वन्यजीव) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, नई दिल्ली।
3. निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं. 18, चन्द्रबनी, देहरादून।

विशेषाधिकारी, वन